

प्रेषक,

संजय गोयल,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मीरजापुर, कानपुर देहात, झांसी, गाजीपुर, सीतापुर, हमीरपुर, बलरामपुर, शामली,
रायबरेली एवं कौशाम्बी।

लखनऊ : दिनांक: 22 अगस्त, 2020

राजस्व अनुभाग-10

विषय:-वित्तीय वर्ष 2019-20 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित अवशेष कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2019-20 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई कृषि फसलों से प्रभावित अवशेष कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2020-21 में **रु० 14,63,28,000/- (रु० चौदह करोड़ तिरसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)** की धनराशि, कालम-2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम-3 में अंकित धनराशि अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-


(धनराशि लाख रु० में)		
क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	मीरजापुर, पत्रांक-2803, दि०-05.08.2020	308.29
2	कानपुर देहात, पत्रांक-139, दि०-05.05.2020	35.00
3	झांसी, पत्रांक-323, दि०-05.08.2020	409.47
4	गाजीपुर, पत्रांक-593, दि०-06.08.2020	329.19
5	सीतापुर, पत्रांक-695, दि०-06.08.2020	351.87
6	हमीरपुर, पत्रांक-40, दि०-12.08.2020	7.41
7	बलरामपुर, पत्रांक-980, दि०-13.08.2020	10.99
8	शामली, पत्रांक-1727, दि०-04.10.2020	5.20
9	रायबरेली, पत्रांक-1876, दि०-11.03.2020	1.50
10	कौशाम्बी, पत्रांक-1218, दि०-04.08.2020	4.36
कुल योग		1463.28
(रु० चौदह करोड़ तिरसठ लाख अट्ठाईस हजार मात्र)		

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,



(संजय गोयल)
सचिव।

संख्या:-526(1)/एक-10-2020-33(36)/2018टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम कंवल)
विशेष सचिव।